राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक भवन, जयपुर।

क्रमांकः एफ–1(5)21/ पेपर्स क्रय/स्टेशनरीस्टोर/ डीईएस/ 2020–21/ 41 दिनांकः 07/01/21

बिड आमंत्रण सूचना ए–04/2020–21/07

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,राजस्थान,जयपुर के राजकार्य उपयोगार्थ कम्प्युटर-स्टेशनरी/फोटोस्टेट पेपर ए–4,ए–3,एफ.एस.एल.पेपर्स आदि क्रय किये जाने हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द बिडस आमंत्रित की जाती है सामग्री की दरें एक वर्ष की अवधि तक अनुबन्धित की जाकर आवश्यकतानुसार समय–समय पर सप्लाई की जावेंगी। बिना कारण बताए बिड निरस्त करने का अधिकार निदेशक,आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,जयपुर को होगा तथा सशर्त निविदाऐं स्वीकार्य नहीं है।

क्र.. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित राशि	बयाना राशि	बिड शुल्क	बिड प्रस्तुत करने की तिथि	बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	परिशिष्ठ"अ" के अनुसार	300000/– (तीन लाख) रूपये	3000/– (तीन हजार) रूपये	200/– (दो सौ) रूपये	19.01.2021 1–00 पीएम तक	19.01.2021 3–00 पी.एम

(डॉ0 ओमप्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ–1(1)21/ पेपर्स क्रय/स्टेशनरीस्टोर/ डीईएस/ 2020–21/ 42-47 दिनांकः 07-01-21

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर मु0 को sppp पोर्टल तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. विभागीय क्रय समिति,निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त दिनांक को बिड खोलने हेतु होने वाली बैठक में सम्मिलित होने का श्रम करें।
3. नोटिस बोर्ड

(मिसाराम प्रजापत)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

16

A.04/2020-21/07

Government of Rajasthan

Directorate of Economic & Statistics

Yojana Bhawan, Jaipur

परिशिष्ठ "अ"

एफ–1(1)21/ पेपर्स क्रय/स्टेशनरीस्टोर/ डीईएस/ 2020-21/ 41 - 07-01-21

Requirement of Stationary A-4 Size Rim/ A-3 Size Rim/ F.S. Paper (Legal size)

cds/dvd/glossy papers

Sr. No.	Items	Quantity approx	सभी कर यथा: सीजीएसटी/आरजीएसटी/अन्य कर सहित दर	विशेष विवरण
1.	A-4 Size Paper, 75 GSM	800 Rim		
2.	A-3 Size Paper, 75 GSM	300 Rim		
3.	F S L Paper, (Legal size) 75 GSM	300 Rim		
4.	C. D. (R) (writex)	1000 pcs		
5.	C. D (W.R.) (writex)	500 pcs		
6.	DVD (writex)	500 pcs		
7.	GLOSSY PAPER A-4 (50 sheet per pkt 150 gsm)	100 PKT		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील/दिनांक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग जयपुर

200/—रूपये

बिड फार्म

A·04/2020-21/07

एफ—1(5)21/ पेपर्स क्रय/स्टेशनरीस्टोर/ डीईएस/ 2020—21/ 41 07/01/21

(अ) फोटोस्टेट पेपर्स/सीडी /ग्लोजी पेपर्स आदि

1 बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता मय टिन व दूरभाष,जी0एस0टी0 नम्बर

....

2. किसको सम्बोधित किया गया — निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी की गई बिड आमंत्रण सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

4. निम्नलिखित मदों की सप्लाई की दरें निम्न प्रकार होगीः—

क्र. सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन)	दर (रुपये)	सभी कर यथाः सीजीएसटी/आरजीएसटी/ सहित दर्शाया जावे	मात्रा प्रति नग/पैकेट/रिम
1	2	3	4	5
सलंग्न पशिष्ठ "अ" के अनुसार				

5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 10 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
6. ऊपर उद्धत की गई दरें आदेश दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाई भी जा सकेगी।
7. इसके साथ आयकर/**जीएसटी/आरजीएसटी** चुकती प्रमाण—पत्र, बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चुकती प्रमाण—पत्र प्रस्तुत हैं।
8. फर्म द्वारा विभागीय नमूने देख लिए गये हैं ।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न है।
10. सफल निविदादाताओं को नियमानुसार विभाग से 500/—रूपये के नॅान ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा
11.राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील/दिनांक

(5)

A-04/20-21/07

निविदादाता द्वारा घोषणा

नियम 48 (vii)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामान/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक बिक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन ऐजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत्त कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील/दिनांक

A-04/20-21/07 (S)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

एफ–1(1)21/ पेपर्स क्रय/स्टेशनरीस्टोर/ डीईएस/ 2020-21/ 41 07-01-21

....

–: शर्तें :–

(1) निविदा–दाता नीचे लिखी शर्तों तथा बिड फार्म में दर्शाए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही बिड प्रेषित करें।

(2) यदि निविदादाता को इन शर्तों के अभिप्रायः में या बिड फार्म में दी गई वस्तुओं के विवरण, आकार–प्रकार, नाप–तोल आदि में किसी प्रकार का संदेह हो तो वह बिड भरने से पूर्व संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से स्पष्ट कर लेवें। कालान्तर में किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जिसे निविदादाता मानने को बाध्य होगा।

(3) निविदादाता को बिड के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

1. क्रय की जाने वाली वस्तु का विवरण –
क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विवरण सम्बन्धित बिड फार्म में दर्शाये गये हैं, जो विभाग के पास उपलब्ध (यदि कोई हो) नमूने के अनुसार सप्लाई करनी है। उनके नमूने का अवलोकन भण्डारपाल, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। निविदादाता नमूने देखने के उपरान्त ही बिड की दरें अंकित करेगा। बिड फार्म में दर्शाई गई वस्तु के विवरण में निविदादाता किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा तथा अपनी ओर से परिवर्तित विशिष्टयों की दरें अंकित नहीं करेगा। परिवर्तन करने पर उस वस्तु के लिये दी गई दर पर कोई विचार नहीं होगा। अतः बिड प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मान कर निविदादाता को एक ही दर अंकित करनी चाहिये।

2. इस कार्यालय में बिड प्रपत्र प्राप्त करने, भरी हुई प्रस्तुत करने का स्थान, तिथि तथा बिडस खोलने का समय व तिथि वही होगी जो बिड आमंत्रण विज्ञप्ति या संशोधित विज्ञप्ति (यदि कोई हो) में दर्शाई गई है। प्राप्त बिडस निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हो) कार्यालय निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर में खोली जावेगी।

3. क्रय हेतु सक्षम अधिकारी –
विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर बिड फार्म में अंकित वस्तुओं के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

4. बिड में सामान प्रदाय की एक ही दर अंकित करना –
   I. दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चूंगी आदि सम्मिलित किया जाना चाहिये। तथा सीजीएसटी/आरजीएसटी सहित दर्शाया जाना चाहिये ।
   II. आदेशानुसार माल पहुंचाने का समस्त खर्चा निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।
   III. यदि किसी माल का भाड़ा क्रय अधिकारी को चुकाना पड़ा तो निविदादाता से माल का भाड़ा तथा चुकाये गये भाड़े का पॉच प्रतिशत विभागीय खर्च के रुप में उसके बिल से वसूल किया जावेगा।

5. निविदादाता द्वारा बिड में दी गई दरों की वैधता –
निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई दरों की बिड खोलने की आदेश दिनांक से 1 वर्ष तक वैध होगी। इस अवधि में अनुबन्ध एक साथ अथवा टुकड़ों में एक से अधिक बार विभाग की सुविधानुसार सम्पादित किया जाना होगा एवं निविदादाता बिडस में दी गई दरों पर अनुबन्ध करने को बाध्य होगा अन्यथा बिड शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी अनुबन्ध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता शर्त संख्या 7 से नियंत्रित होगी।

6. बिड की अवधि –
स्वीकृत दरों की वैधता स्वीकृत दिनांक से 1 वर्ष तक होगी। इस अवधि के पश्चात स्वीकृत दरों की मान्यता क्रय अधिकारी एवं निविदादाता के आपसी समझौते पर उपापन नियमों के अनुसार मूल संविदा के माल के मूल्य का वित नियमों के तहत स्वीकृत प्रतिशत तक उन्हीं दरों पर एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है।

7. निर्धारित विवरण एवं स्वीकृत नमूने अनुसार ही माल आपूर्ति करना–
समस्त वस्तुऐं बिडस में दर्शाये गये नाप, विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही निविदादाता को निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर में आपूर्ति करनी होगी।

8. स्वीकृत वस्तु के मूल्य का भुगतान –
स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान एवं निविदादाताओं से तीन प्रतियां में बिल प्राप्त होने पर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा आनलाईन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जावेगी परन्तु ड्राफ्ट अथवां बैंकर्स चैक का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

A-04/20-21/07

9. निविदादाता द्वारा ठेका किसी अन्य ऐजेन्सी को देना –
निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी भाग को अन्य ऐजेन्सी को नहीं देगा व ना ही उससे सप्लाई करायेगा।

10. क्रय की मात्रा –
क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा जो बिड में दर्शाई गई है वह केवल अनुमानित है न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दिये जा सकेगें। विभाग की आवश्यकतानुसार बिडस में अंकित मात्रा से नियमानुसार स्वीकृत प्रतिशत अधिक की मात्रा के क्रयादेश दिये जा सकेंगे।

11. सामान सप्लाई की अवधि–
निविदादाता को क्रयादेश निर्णय दिनांक से 10 दिन की अवधि में सामान की आपूर्ति करनी होगी यदि निर्धारित समय में निविदादाता उक्त सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है माल की कीमत के आधार पर सहमत क्षतिपूर्ति के रुप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार राशि वसूल की जावेगी।

1st. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में एक चौथाई भाग की देरी पर 2 प्रतिशत।

2nd. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में एक चौथाई से अधिक लेकिन आधे भाग की अवधि तक की देरी पर 5 प्रतिशत।

3rd. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि की आधा भाग से अधिक लेकिन तीन चौथाई भाग की अवधि तक की देरी पर 7 प्रतिशत।

12. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में तीन चौथाई भाग की अवधि से अधिक लेकिन बराबर की अवधि पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में उचित कारणों से 10 प्रतिशत सहमति क्षतिपूर्ति वसूल कर सामग्री स्वीकृत की जावेगी। सामान्य क्रयादेश निर्गम दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा।

13. आदेशित माल सप्लाई न करना अथवा आंशिक सप्लाई करना –
निविदादाता द्वारा क्रयादेश में निर्धारित अवधि या शर्त संख्या 13 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि में आदेशित वस्तुऐं बिल्कुल सप्लाई न करने पर या पूरी तादाद में सप्लाई न करने पर या सप्लाई की वस्तुऐं अस्वीकृत होने पर उन अस्वीकृत हुई वस्तुओं को आदेशित अवधि में पुनः सप्लाई न करने पर ऐसी वस्तुओं को अन्य व्यापारी से क्रय करने का अधिकार निदेशक को होगा। आदेशित मात्रा से कम सप्लाई अथवा बिल्कुल सप्लाई नहीं की गई वस्तुओं के मूल का 10 प्रतिशत अथवा रिज्वपरचेज में होने वाली हानि (दोनों में जो अधिक हो) लिक्विडेटेड डेमेजेज के रुप में निविदादाता से वसूल की जावेगी जो उनके बिल/अन्य बकाया जमा सुरक्षा धन अथवा अन्य स्त्रोत से कर ली जावेगी। यदि हानि की वसूली निविदादाता से विभागीय स्तर पर सम्भव नहीं होती है तो यह वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत अथवा नियमानुसार अन्य से वसूल की जावेगी।

14. फाल्ट क्लाज –
यदि बिड अवधि में निविदादाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा इसी प्रकार माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचा सामान की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है उसी दिनांक से इस विभाग में दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर किसी अन्य को माल नहीं बेचने का प्रमाण पत्र बिल में अंकित करना होगा।

निविदा अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि निविदादाता द्वारा फाल्ट क्लाज की शर्तो की पालना नहीं की गई है जो विभाग से प्राप्त अधिक राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

15. अनुबन्ध पत्र भर कर प्रस्तुत करना –
निदेशालय द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर निविदादाता को पत्र निर्गमित होने के 7 दिन के अन्दर 500/– रुपये के नॉन– ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारुप में अनुबन्ध पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।

16. अस्वीकृत वस्तुऐं –
निविदादाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुऐं अस्वीकृत होने पर अस्वीकृत की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे पर उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया निविदादाता से वसूल किया जावेगा जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा वस्तु के खराब होने टुटने फुटने आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता द्वारा अस्वीकृत की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत माल निलामी नष्ट जैसी परिस्थिति हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

17. सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना –
निविदादाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोले बोरियां डिब्बे पत्तियां आदि होना वह निःशुल्क होगा तथा निविदादाता को लौटाया नहीं जावेगा। निविदादाता सप्लाई करने वाले माल की ठीक ढंग से पैकिंग के लिये उत्तरदायी होंगे। रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि होने के लिये विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

A-04/20-21/07

18. राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना –
बिडस स्वीकृत हेतु अथवा बिड सम्बन्धी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुप से किसी प्रकार का विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुंचाना गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे निविदादाता की बिड स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

19. आयातीत लाईसेन्स –
यदि किसी वस्तु के लिए आयात लाईसेन्स की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

20. सुरक्षित अधिकार –
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें सबसे कम दरें स्वीकार न करके ऊंची दर स्वीकृत कर लें अथवा कोई भी दर स्वीकार न करे।

21. कानूनी विवाद – किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का क्षेत्र केवल जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।

22. वास्तविक व्यापारी द्वारा बिडस भरी जाना –
विभाग में पूर्व में कार्य कर रहे व्यापारियों के अतिरिक्त बिड केवल उन्हीं फर्मों अथवा व्यापारियों द्वारा भरी जानी चाहिये जो वास्तव में उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते हो जिनके लिये उन्होंने बिड दी है।

23. बिड दरें अंकित करना –
बिड प्रपत्र में आईटमों की दरें स्याही अथवा टाईप के स्पष्ट अंकों व शब्दों में भरी जानी चाहिये। दोनों में अन्तर होने पर दोनों में से जो भी कम हो वह दर मान्य होगी। काट छांट अथवा अतिलीखन/ऊपरी लेखन पर निविदादाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

24. बिड के साथ प्रेषित किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र
बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों और लाईसेन्सों यथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड ,टिन नं. प्रमाण–पत्र जीएसटी पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रतियां भिजवाना अनिवार्य है:

I. मूल बिड प्रपत्र मय बिड राशि।
II. लघु ईकाई के लिये पंजीकरण एवं क्षमता प्रमाण पत्र की प्रति।
(केवल लघु उद्योग ईकाई के रुप में पंजीकृत निविदादाताओं के लिये)

III. बिडस घोषणा पत्र
अगर उपरोक्त प्रमाण पत्र बिड के साथ प्राप्त नहीं होंगे अथवा उनका बिड वर्ष के लिये नवीनीकरण नहीं होगा अथवा त्राुटिपूर्ण होंगे तो प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि राज्य हित में किसी बिड पर विचार कर लिया गया तो भी निविदादाता द्वारा प्रदत्त माल का भुगतान वॉछित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियॉ प्रेषित करने पर ही किया जावेगा।

25. अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार –
बिड के नियम/शर्तों तथा बिड प्रपत्र में दिये गये विवरण आदि में निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा दिया गया शर्त एवं निर्णय अन्तिम समझा जायेगा एवं उसे निविदादाता को मानने को बाध्य होगा।

26. निजी शर्त लगाकर बिडस प्रस्तुत करना –
निविदा शर्तों के विपरीत निविदादाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि किसी भी निविदादाता ने कोई निजी शर्त लगाकर बिड दी है तो वह शर्त तब तक मान्य नहीं होगी जब तक विभाग द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

27. निरीक्षण अधिकारी –
निविदादाता की फर्म या कम्पनी का निर्माण शाखा/ दुकान /गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

28. बिड शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल राज्य सरकार ही सक्षम होगी–
मैने/ हमने उपरोक्त सभी शर्तों /नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील/ दिनांक